देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2021/palm/06 E-Newsletter, Issued in Public Interest 11 अक्टूबर 2021

आबकारी विभाग मे सरेंडर करने और री-ऑक्शन का खेला!!!

चहेते ठेकेदारों के लिए विशेष ऑफर!!!

शराब की दुकान सरेंडर करवाओ और रीऑक्शन मे आधी गारंटी पर वापस उसी दुकान को लगाओ!!!

इस खेल मे सरकार के राजस्व को नुकसान जबकि अधिकारियों और ठेकेदार की बल्ले बल्ले!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

नयी आबकारी नीति से शराब ठेकेदार परेशान अधिकारियों की पौ बारह|

राज्य सरकार की नयी आबकारी नीति शराब ठेकेदारों की गलफांस बन चुकी है|सरकार के कुछ एसी मे बैठ कर नीतियाँ बनाने वाले अधिकारियों ने इस नयी आबकारी नीति को अमली जामा पहनाया था|नयी आबकारी नीति को लागू करने से पहले यह ख्वाब दिखाये गए थे कि इस नयी नीति से सरकार को हजारों करोड़ो के राजस्व की प्राप्ति होगी,ठेकेदारों को 20 से 25 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा और ग्राहकों को उच्च क्वालिटी की देशी/विदेशी मदिरा निर्धारित दर पर मिलेगी|साथ ही यह भी दावा किया गया कि सरकार मदिरा की अधिकतम बिक्री के मानदंडो के साथ साथ मद्द संयम नीति की भी कठोरता से पालना करवाएगी|लेकिन जैसे जैसे यह पॉलिसी धरातल पर आई सरकार के सभी दावे हवा होते गए|

को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? बीएसपी जवाब चाहती है।

बीच किसानों को वाहनों से रौंदने

है और न्याय मांग रहा है।

नई आबकारी नीति में बदलाव और छूट की मांग का मामला

विधानसभा उपचुनावों में सीएम का घेराव करेंगे शराब कारोबारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य की नई आबकारी नीति और वित्त विभाग के अधिकारियों के व्यवहार से परेशान प्रदेशभर के शराब ठेकेदार विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घेराव करेंगे। यह निर्णय रविवार को प्रदेशभर से पिंकसिटी प्रेस क्लब में जुटे शराब कारोबारियों ने बैठक के दौरान लिया।

ठेकेदारों ने कहा कि राज्य की नई आबकारी नीति से शराब व्यापारियों की हालात खराब हैं। अपनी जमा पूंजी भी गंवा चुके हैं। कई तो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लेकिन न आबकारी विभाग के अधिकारी सुन रहे और न ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलने का समय दिया। ऐसे में मजबूरन वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत का घेराव कर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा जयपुर में भी सिविल लाइंस फाटक पर घेराव करेंगे।

राज लीकर वेलफेयर सोसायटी अध्यक्ष निलेश मेवाड़ा, कोटा वाइन एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद पारेता और शराब ठेकेदार यूनियन झुंझुनूं के अध्यक्ष विजेन्द्र मील ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता में कहा कि तीन माह से प्रदेशभर के शराब ठेकेदार जिला मुख्यालयों और आबकारी कार्यालयों व गोदामों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान नहीं। अब उन्हें मजबूरन जयपुर में कूच करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार ने सुनवाई नहीं की तो दुकानों की चाबियां संयुक्त रूप से सौंप देंगे।

तीन बोतल खरीदने पर एक फ्री

जयपुर में कई दुकान संचालकों ने सरकार की गारंटी राशि के मुताबिक शराब बेचने के लिए जनता को तीन बोतल की खरीद पर एक नि:शुल्क देने का ऑफर दिया है। ऐसे होर्डिंग्स सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड व भांकरोटा में लगे देखे जा सकते हैं।

यह रखी मांगें

नई आबकारी नीति में शराब विक्रय पर 20 से 25 प्रतिशत कमीशन देने का वादा किया था, जबकि 12 से 13 फीसदी मिल रहा है। कई नए कर अलग से लगा दिए गए हैं। बेसिक लाइसेंस फीस और कंपोजिट फीस के रूप में डाले गए बोझ को हटाया जाए।

नयी पॉलिसी मतलब भ्रष्टाचार का पिटारा|

सरकार की नयी पॉलिसी मे सभी अँग्रेजी और देशी शराब की दुकानों को कम्पोज़िट कर दिया गया|जिसका मतलब हुआ कि अब एक ही जगह पर दोनों तरह की शराब उपलब्ध कारवाई जाएगी|इस नीति से जहां पिछले साल तक कोने-कछारो मे छुपी देशी शराब की दुकाने भी मुख्य सड़कों पर आ गयी और आबकारी नियम 75 के विपरीत शिक्षण संस्थानों,धार्मिक स्थलों,अस्पतालों के 200 मीटर के दायरे मे इन्हे खोला गया इसका परिणाम यह रहा कि जो ठेकेदार 10000 रुपए रोज की देशी शराब बेचता था उसे अब रोज 300000 रुपए की अँग्रेजी और देशी दोनों तरह की शराब बेचने को मजबूर किया गया|वही दूसरी तरफ वार्ड स्तर पर की गयी प्रत्येक दुकान की नीलामी से आपसी प्रति-स्पर्धा के चलते ना चाहते हुए भी एक एक दुकान करोड़ो मे छूटी| इस प्रक्रिया से जिम्मेदार अधिकारियों ने तो राजस्व के आंकड़े दिखा दिखा कर जहां वाह-वाही लूट ली वहीं कोरोना की दोहरी मार के चलते करोड़ो रुपयों मे एक एक दुकान का ठेका छुड़ाने वाले ठेकेदारो की हालत हद से ज्यादा खराब हो गयी|अब तो हालत यह हो गयी है कि ठेकेदार आत्महत्या तक करने और आंदोलन करने पर उतारू हो चुके है|

दिनांक 10/10/2021 को पिंक सिटी प्रैस क्लब मे हुई प्रेस-वार्ता मे राज. लीकर एसोशियशन के अध्यक्ष ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है|

नयी पॉलिसी के साइड इफेक्ट|

कोरोना काल और आबकारी विभाग की दमनकारी नीतियों के चलते शराब कारोबारी मजबूरन दुकान सरेंडर करने की एप्लीकेशन लगा रहे है|क्यूंकि शराब ठेकेदारों द्वारा नीलामी के समय आपसी प्रति-स्पर्धा के चलते दुगुनी-तिगुनी गारंटी पर ठेके छुड़ाने पड़े थे|लेकिन कोरोना काल और आबकारी विभाग की दमनकारी नीतियों के चलते उनकी न्यूनतम गारंटी भी पूरी नहीं होने से औने-पौने दामों पर अपना माल शराब उपभोक्ताओं को और शराब माफियाओं को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी मद्द संयम नीति के तहत प्रलोभन न देने का उल्लंघन किया जा रहा है|

लेकिन ठेकेदारों की परेशानी को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और उनके चहेते ठेकेदारों ने इसे आपदा मे अवसर की तरह लिया है|उन्होने आपसी साँठ-गांठ कर सरेंडर से री ऑक्शन मे ठेकेदार को फायदा पहुचाने और अपनी जेबें गरम करने का जुगाड़ बना लिया है|इस खेल मे आबकारी विभाग द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों के न्यूनतम गारंटी से कहीं अधिक पर छूटे हुए ठेकों को सरेंडर करवाया जाकर,तुरत-फुरत मे निरस्त कर एवं री-ऑक्शन करवा कर उसी ठेकेदार को पुनः न्यूनतम गारंटी पर दिलवा दिया जाता है|ऐसे कई मामले अब धीरे-धीरे सामने आ रहे है|

जयपुर शहर के वार्ड संख्या 110(G) 139(G) मे स्थित शराब की कम्पोजीट दुकानों का मामला!!!

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 मे जयपुर शहर के वार्ड संख्या 110(G) 139(G) मे नयी आबकारी नीति के तहत तीन दुकानों का ऑक्शन किया जाना था|इन तीनों दुकानों की न्यूनतम रिसर्व प्राइस करीब 2 करोड़ 46 लाख आरक्षित की गयी|इन दुकानों के लिए तीन बोलीदाताओं साहिल जैन, देव कुमार यादव और मुकेश कुमार द्वारा क्रमश: लगभग 5 करोड़,4 करोड़ और 4 करोड़ मे अधिकतम बोली(H-1) लगा कर,अपनी-अपनी शराब की कम्पोजीट दुकाने शुरू कर दी|इन दुकानों की लोकेशन भी एक ही सड़क पर 300 मीटर के दायरे मे होने से स्वाभाविक है कि इनमे आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़चढ़ कर रही होगी|

इस प्रकरण मे वार्ड संख्या 110(G) 139(G) के शराब लाईसेंसियों साहिल जैन ने मिलीभगत के तहत और देव कुमार यादव ने कोरोना काल और शराब की कम बिक्री से त्रस्त हो कर क्रमशः दिनांक 14/08/2021 और 31/08/2021 को लाइसेन्स सरेंडर करने की एप्लीकेशन लगाई|

लेकिन आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ना केवल साहिल जैन की एप्लिकेशन को तत्काल स्वीकार करते हुए आनन-फानन मे दुकान निरस्त करने की सभी ओपचारिकताए पूरी कर,दिनांक 16/08/2021 को जारी की गयी निविदा मे इस दुकान का भी नाम लिखवा दिया गया और दिनांक 25/08/2021 को इस दुकान को री ऑक्शन कर दूसरे लाईसेंसी विनोद कुमार सेठी को रिजर्व प्राइज़ से मात्र 5 हजार रुपए ऊपर मे दे दी गयी बताया जाता है कि यह लाईसेन्स पुराने वाले ठेकेदार ने ही छुड़वाए है||जबकि देव कुमार यादव द्वारा दिनांक 31/08/2021 को लाइसेन्स सरेंडर की एप्लिकेशन पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की|

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/ 3089 दिनांक : 16.08.2021

निरस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन एवं ई–नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना फेज–XI

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई–नीलामी (ई–बोली) आयोजित की जा रही है। अभी तक 10 फेज में नीलामी सम्पन्न हो चुकी है।
2. विभिन्न जिलों में निरस्त की गई कम्पोजिट मदिरा दुकान के पुनः बन्दोबस्त के लिये दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस व कम्पोजिट फीस विभागीय बेवसाईट https://www.rajexcise.gov.in पर दर्शित है। दर्शाई गई "न्यूनतम रिजर्व प्राईस" वार्षिक (12 माह के लिए) है। वास्तविक गारंटी राशि की गणना अनुज्ञापत्र हेतु जारी स्वीकृति की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाऐगी।
3. आवेदन शुल्क पूर्वानुसार "मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस" के अनुसार ही रहेगा।
4. **अमानत राशि**– आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2021–22 के बिन्दु संख्या 2.7 में अमानत राशि के बारे में प्रावधान किये गये है परन्तु किसी भी फेज में एक बार यदि किसी **कम्पोजिट मदिरा दुकान** के लिए बोलीदाता द्वारा बेकआउट किया गया है तो ऐसी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए निम्नालिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है। शेष दुकानों के लिए अमानत राशि पूर्ववत रहेगी।

श्रेणी	अमानत राशि (रू.)
वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये तक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	2,00,000
वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	3,00,000
वर्ष 2021–22 के लिए 2 करोड़ रूपये से अधिक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	5,00,000

5. फेज–XI में निम्नलिखित तिथि अनुसार ई–नीलामी (ई–बोली) आमंत्रित की जाती है :–

क्र.स.	नीलामी की दिनांक	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	25.08.2021	24.08.2021

नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

6. **आवेदनः**– फेज–XI के लिए आवेदन की प्रकिया **दिनांक 18.08.2021** को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ है तथा निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. तक चालू रहेगी।
7. यदि आवेदक द्वारा दिनांक 12.02.2021 के पश्चात् **https://www.mstcecommerce.com** पर पंजीकरण कराया है तो उन्हे पृथक से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही रहेगी। पूर्व में आवंटित यूजर आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से ई–नीलामी हेतु आवेदन कर सकते

1

क्या है असली खेल?

ऊपर लिखी कहानी को पढ़ने से आपको यह एक साधारण प्रक्रिया प्रतीत होगी|लेकिन कहानी मे सबसे बड़ा खेल सरकार को राजस्व का बड़ा चुना लगाकर भ्रष्ट अधिकारियों और उनके चहेते ठेकेदारों द्वारा खुद की जेबे भरने का खेला गया|

साहिल जैन/विनोद कुमार सेठी द्वारा जिस दुकान मे शराब की दुकान लगाई गयी है वह 1,झालाना रोड,जयपुर स्थित है|इस लोकेशन पर विगत कुछ सालों से शराब की दुकान संचालित है|गौरतलब है कि उक्त दुकान भी जेडीए के नियमानुसार अवैध है और भविष्य मे टूटी जानी है|वर्तमान मे इस दुकान को साहिल जैन(पूर्व मे) और विनोद कुमार सेठी(वर्तमान मे) के नाम से एक ही पुराने ठेकेदार द्वारा संचालित किया जा रहा है|चूंकि पुराने ठेकेदार द्वारा इस दुकान को न्यूनतम रिजर्व प्राइस 2 करोड़ 46 लाख रुपए से दुगुने दाम अर्थात 5 करोड़ मे खरीदी गयी थी,जिसके तहत इस दुकान को प्रॉफ़िट मे लाना टेढ़ी खीर थी इसके चलते इस पुराने ठेकेदार द्वारा इसे सरेंडर करवाने की योजना बनाई गयी और अधिकारियों से मिलीभगत कर तुरत-फुरत मे इसे सरेंडर करवा कर इसका लाइसेन्स निरस्त करवा दिया गया|फिर 25/08/2021 को इसे पुनः निर्धारित की गयी न्यूनतम रिजर्व प्राइस 2

करोड़ 46 लाख रुपए से महज 5 हजार ऊपर अर्थात 2 करोड़ 51 लाख रुपए मे वर्तमान लाईसेन्सी विनोद कुमार सेठी द्वारा छुड़वा लिया गया|

भ्रष्ट अधिकारियों और उनके चहेते ठेकेदारों के इस खेल से जहां एक तरफ तो इस शराब की दुकान की गारंटी आधी रह गयी वहीं दूसरी तरफ आबकारी अधिकारियों द्वारा इसी दुकान से कुछ दूरी पर स्थित लाईसेंसी देव कुमार यादव की दुकान को आज दिन तक निरस्त नहीं किया जिससे देव कुमार यादव की दुकान तो 31/08/2021 से बंद है और उसकी सेल का फायदा इस पुराने ठेकेदार को हो रहा है और उसकी सेल वर्तमान मे पहले से दुगुनी हो गयी है|

ऐसा नहीं है कि यह खेल आबकारी विभाग को मुगालते मे रख कर खेला गया है|आपको बता दें कि यह खेल बकायदा आबकारी विभाग के अधिकारियों की जानकारी मे खेला गया है|जानकारों के अनुसार इस खेल मे करीब 20-25 लाख रुपए का नजराना भी आबकारी अधिकारियों को भेंट किया गया है|जिसमे 5-5 लाख तक जिला स्तर के मँझोले अधिकारियों को और 15 लाख तक जिला स्तर के बड़े अधिकारी को दिये गए|साथ ही अब इस दुकान से तीन गुना तक मासिक बंधी वसूली जा रही है|(एक मासिक बंधी इस दुकान की,दूसरी बंधी बंद दुकान की जिसका लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया है और तीसरी बंधी गारंटी आधी होने की खुशी मे)अब इस बात पर पर्दा है कि इस खेल मे आयुक्त स्तर तक सेटिंग की गयी थी या उन्हे मुगालते मे रख कर यह सारा खेल खेला गया|

जवाब मांगते सवाल?

1. उच्चाधिकारियों द्वारा बनाई गयी बेतुकी नयी आबकारी नीति की वजह से हो रही शराब कारोबारियों की पीड़ा का जिम्मेदार कौन?
2. यदि नयी आबकारी नीति के फेल हो जाने की वजह से विभाग द्वारा निर्धारित किए गए राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन?
3. जो आबकारी विभाग अपने ही शराब ठेकेदारों से बरसो से लाभ कमा रहा है क्या आपदा के समय उन्हे इन शराब ठेकेदारों की मदद नहीं करनी चाहिए?
4. क्या विभाग के उच्चाधिकारियों को अपनी असफल पॉलिसी को सफल बनाने के लिए सरकार और ठेकेदारों से मिलजुल कर कोई समाधान नहीं ढूँढना चाहिए?

5. जिन ठेकेदारों के बूते आबकारी विभाग राजस्व अर्जित करता है आखिर क्यूँ उनसे अंग्रेज़ो की लगान उगाऊ पॉलिसी की तर्ज पर न्यूनतम गारंटी की वसूली की जा रही है?

6. कौन है यह असली ठेकेदार जो पहले साहिल जैन और वर्तमान मे विनोद कुमार सेठी के नाम से इस दुकान को चला रहा है?

7. कौन है इस खेल को खेलने वाले विभाग के जिम्मेदार अधिकारी?

8. आखिर क्यूँ एक ही वार्ड मे स्थित साहिल जैन और देव कुमार यादव द्वारा दी गयी सरेंडर की एप्लीकेशन मे से केवल साहिल जैन की ही एप्लीकेशन स्वीकार की जाकर दुकान लाइसेन्स निरस्त किया गया?

9. साहिल जैन द्वारा कब सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई गयी और कब उसके लाइसेन्स को निरस्त कर उसे री-ऑक्शन कर दी गयी?

10. सरेंडर के लिए लगाई गयी एप्लीकेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार किसको है? आबकारी आयुक्त को या फिर जिला आबकारी अधिकारी को?

11. इस खेल मे कितनी कितनी न्योछावर किस किस अधिकारी द्वारा ली गयी?

12. आज तक कितने ठेकेदारों ने अपनी दुकाने सरेंडर करने एप्लीकेशन लगाई गयी है?इनमे से कितनी एप्लीकेशन को स्वीकार कर री-ऑक्शन करवाया गया?इन दुकानों को री-ऑक्शन करने से सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ?

13. क्या राज्य सरकार विभाग मे हो रहे सरेंडर और री-ऑक्शन के इस खेल की जांच करवाएगा?